



Neutral Citation No. - 2026:AHC-LKO:16074

इलाहाबाद उच्च न्यायालय [एफआर]

लखनऊ

रिट - सी संख्या - 1003583 वर्ष 2008

फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, फैज़ाबाद द्वारा एरिया मैनेजरयाचिकाकर्ता(गण)

बनाम

क्षेत्रीय श्रम आयुक्त (केंद्रीय), लखनऊ और अन्यप्रतिपक्षी(गण)

आवेदक(गण) के अधिवक्ता : जयदीप नारायण माथुर, सैयद हसीन, शिखर आनंद

प्रतिपक्षी(गण) के अधिवक्ता : एच.जी.एस. परिहार, कुमार आयुष, आर.एन. तिलहरी,
राज कुमार सिंह

न्यायालय संख्या - 4

माननीय न्यायमूर्ति इरशाद अली

- हमने याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता श्री शिखर आनंद और प्रतिवादी-भारत संघ के विद्वान अधिवक्ता श्री राज कुमार सिंह को सुना।
- दिनांक 11.7.2019 के आदेश द्वारा, इस न्यायालय ने माना कि प्रतिपक्षी संख्या 2 पर नोटिस की तामील पर्याप्त मानी गई है।
- उपरोक्त के मददेनजर, यह न्यायालय वर्तमान रिट याचिका में निहित विवाद का निर्णय करने के लिए आगे बढ़ रहा है।
- याचिकाकर्ता ने वर्तमान रिट याचिका के माध्यम से प्रतिपक्षी संख्या 1 द्वारा सुलह मामले संख्या एलकेओ.8(2-31)/2005 में पारित आदेश दिनांक 2.11.2006 और 5.6.2008 तथा

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

दिनांक 4.7.2008 को जारी वसूली प्रमाण पत्र को चुनौती दी है, जो रिट याचिका के अनुलग्नक संख्या 1 और 2 के रूप में संलग्न हैं।

5. मामले का तथ्यात्मक स्वरूप यह है कि प्रतिवादी संख्या 2 ने इस माननीय न्यायालय के समक्ष कई रिट याचिकाएं दायर कीं, जिनमें 255 श्रमिकों को सेवा की निरंतरता और पूर्ण बकाया वेतन के साथ बहाल करने तथा 26.06.1998 से 19.08.1999 की अवधि के वेतन का भुगतान करने की प्रार्थना की गई थी। दिनांक 4.10.2025 के आदेश द्वारा इन रिट याचिकाओं का निस्तारण करते हुए याचिकाकर्ताओं को निर्देश दिया गया कि वे विवाद के निस्तारण के लिए उपयुक्त मंच/औद्योगिक निर्णायक के समक्ष संदर्भ हेतु संबंधित राज्य या केंद्र सरकार से संपर्क करें।

दिनांक 23/27.12.2007 को प्रतिवादी संख्या 2 ने औद्योगिक न्यायाधिकरण/श्रम न्यायालय में जाने के बजाय सुलह कार्यवाही के लिए आरएलसी (केंद्रीय), लखनऊ के समक्ष अभ्यावेदन प्रस्तुत किया। 14.08.2006 को याचिकाकर्ता ने आरएलसी के समक्ष प्रारंभिक आपत्तियां दर्ज कीं। आरएलसी ने प्रारंभिक आपत्ति पर निर्णय लिए बिना 26.06.1998 से 18.08.1998 तक 77 श्रमिकों के वेतन भुगतान से संबंधित मामले में सुलह कार्यवाही शुरू कर दी। याचिकाकर्ता ने न तो कोई समझौता स्वीकार किया और न ही कोई प्रतिबद्धता जताई। प्रतिपक्षी संख्या 1 ने विवाद के निस्तारण के लिए कोई अधिकार न होते हुए भी याचिकाकर्ता को 77 श्रमिकों को वेतन भुगतान करने का आदेश पारित कर दिया।

प्रतिपक्षी संख्या 1 ने दिनांक 5.6.2008 के आदेश द्वारा दिनांक 2.11.2006 के आदेश को वापस लेने के लिए दायर आवेदन को अस्वीकार कर दिया। प्रतिपक्षीगणों ने याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत रेखाचित्रों के संशोधन/परिवर्तन के संबंध में कोई निर्णय नहीं लिया, बल्कि इसके बजाय निदेशक, सी एंड डीएस ने मनमाने ढंग से और एकतरफा रूप से समझौते में संशोधन किया और समझौते के तहत आवंटित कुल 17 कार्यों में से याचिकाकर्ता से 7 कार्य वापस ले लिए और दिनांक 4.7.2008 के आदेश द्वारा यह कारण बताओ नोटिस जारी किया कि समझौते की शर्तों के अनुसार कार्य पूरा न करने के आधार पर समझौता क्यों समाप्त न किया जाए और उसी दिन वसूली का आदेश जारी कर दिया गया।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

6. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का निवेदन है कि एक बार क्षेत्रीय श्रम आयुक्त के समक्ष सुलह कार्यवाही शुरू करने के लिए आवेदन किया गया था, तो उन्हें औद्योगिक न्यायाधिकरण/श्रम न्यायालय की तरह इस मुद्दे पर निर्णय लेने की कार्यवाही नहीं करनी चाहिए थी।

7. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का अगला निवेदन यह है कि विधिवत किसी भी अधिकार के बिना और पूर्णतः क्षेत्राधिकारहीन होकर प्रतिपक्षीगणों ने आक्षेपित आदेश पारित किए और इसके फलस्वरूप वसूली कार्यवाही भी प्रारंभ की गई तथा आदेश को वापस लेने का आवेदन भी अस्वीकृत कर दिया गया, अतः पारित आदेश पूर्णतः क्षेत्राधिकारहीन है।

8. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का अगला निवेदन यह है कि क्षेत्रीय स्तर के आयुक्त द्वारा प्रारंभ की गई संपूर्ण कार्यवाही पूर्णतः क्षेत्राधिकारहीन और किसी तर्कसंगत आधार के बिना है, अतः आक्षेपित आदेश स्पष्टतः अवैध हैं और निरस्त किए जाने योग्य हैं।

9. दूसरी ओर, प्रतिवादी-भारत संघ के विद्वान अधिवक्ता श्री राज कुमार सिंह ने यह तथ्य स्वीकार किया कि सुलह कार्यवाही के अंतर्गत केवल सुलह ही की जा सकती है। सुलह कार्यवाही विफल होने की स्थिति में, एकमात्र उपाय मामले को केंद्र सरकार को संदर्भित करना है, जो श्रम न्यायालय या औद्योगिक न्यायाधिकरण को सिफारिश करेगी और श्रम न्यायालय या औद्योगिक न्यायाधिकरण उचित आदेश पारित करेगा।

10. दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्तागणों के परस्पर विरोधी निवेदनों को सुनने के बाद, मैंने अभिलेख में मौजूद सामग्री का अवलोकन किया है।

11. यह सर्वविदित तथ्य है कि क्षेत्रीय स्तर के आयुक्त द्वारा पारित आदेश पूर्णतः अधिकार क्षेत्र से बाहर है। सुलह कार्यवाही के अंतर्गत मजदूरी भुगतान का आदेश पारित करने का उन्हें विधिवत कोई अधिकार नहीं है। यदि वे इस बात से संतुष्ट होते कि श्रमिक को मजदूरी का भुगतान किया जाना चाहिए, तो सुलह कार्यवाही का निपटारा करके उन्हें केंद्र सरकार को संदर्भित करना चाहिए ताकि इसे सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् श्रम न्यायालय या औद्योगिक

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



न्यायाधिकरण को भेजा जा सके। इस दृष्टि से, क्षेत्रीय स्तर के आयुक्त ने इस मामले में विवाद का निर्णय करने में विधि और अधिकार क्षेत्र की स्पष्ट त्रुटि की है।

12. परिणामी आदेश भी क्षेत्रीय स्तर के आयुक्त द्वारा पारित आदेश पर निर्भर हैं, इसलिए, वापसी आवेदन को अस्वीकार करने और राशि की वसूली के लिए कार्यवाही शुरू करने का आदेश पूरी तरह से क्षेत्राधिकार से बाहर है और कानून की दृष्टि से मान्य नहीं है।

13. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों तथा ऊपर दिए गए कारणों को देखते हुए, दिनांक 2/11/2006, 5/6/2008 के आक्षेपित आदेश और दिनांक 4.7.2008 का वसूली प्रमाण पत्र रद्द किए जाते हैं।

14. परिणामस्वरूप, इस रिट याचिका को अनुमति दी जाती है।

15. आक्षेपित आदेशों से पता चलता है कि ये आदेश अत्यंत सतही और लापरवाही से पारित किए गए हैं, इसलिए याचिकाकर्ता को देय 50,000/- रुपये का दंडात्मक जुर्माना उस समय नियुक्त क्षेत्रीय स्तर के आयुक्त पर लगाया जाता है, जब आदेश पारित किया गया था।

26 फरवरी, 2026

जी.के. सिन्हा

(न्यायमूर्ति इरशाद अली)

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।